टी० के० शिबु,
विशेष सचिव।

अर्द्ध०शा० पत्र संख्या- 441 /80-12026,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊः दिनांक 04 अगस्त, 2026

आदरणीय महोदय,

कृपया प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-18/एम०एस०/एम०एल०ए०/2026 दिनांक 19.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके शिकायती पत्र दिनांक 08.01.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर आपको अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। आपके उक्त पत्र द्वारा निर्माण खंड प्रयागराज में हुए गबन के संबंध में श्री महेंद्र कुमार के विरुद्ध कतिपय बिंदुओं पर शिकायत करते हुए जांच कराकर कार्यवाही करने तथा प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है।

2- इस संबंध में आयुक्त एवं निदेशक, मण्डी परिषद, उ०प्र० के पत्र संख्या-अधि०"क"/(1037)/2026-1476 दिनांक 29.07.2026 एवं पत्र संख्या-अधि०"क"/(1037)/2026-1508 दिनांक 04.08.2026 द्वारा अद्यतन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। तदक्रम में आपके उपरोक्त प्रेषित शिकायती पत्र के संबंध में शिकायतवार आख्या निम्नवत है-

(1) **निर्माण खण्ड, प्रयागराज में हुए गबन के संबंध में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में-**

निर्माण खण्ड, प्रयागराज में ठेकेदारों एवं अन्य संस्थाओं को किसी परियोजना में कोई कार्य किये बिना अनियमित भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रकरण की जॉच हेतु दिनांक 08.08.2023 को परिषद के अधिकारियों की तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित की गयी। गठित समिति की जॉच आख्या दिनांक 12.09.2023 को प्राप्त हुई, जिसके क्रम में जॉच आख्या में दोषी पाये गये 04 कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। 04 कार्मिकों के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री रवेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रभारी उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, प्रयागराज को परिषद आदेश दिनांक 09.05.2024 द्वारा पदच्युत किया गया। श्री संजीव कुमार गंगवार, लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी सम्प्रति से०नि० के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही परिषद आदेश दिनांक 24.07.2026 द्वारा निस्तारित की गई। शेष 02 कार्मिकों श्री मैकूलाल, सेवानिवृत्त लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी एवं श्री मंजीत सिंह, वरिष्ठ सहायक के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है। प्रकरण में संलिप्त उपर्युक्त चारों कार्मिकों के विरूद्ध

थाना-धूमनगंज, प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-0485 दिनांक 16.09.2023 भी दर्ज कराई गयी है।

अग्रतर दोषी कर्मचारी श्री मैकूलाल द्वारा श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध शिकायती पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 21.02.2025 को गठित परिषद के अधिकारियों की नवीन चार सदस्यीय समिति द्वारा निर्माण खण्ड, प्रयागराज में हुए गबन के सम्बन्ध में आदेश संख्या-181 दिनांक 08.08.2023 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी जॉच आख्या का पुनः परीक्षण करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें उक्त 04 कार्मिकों के अतिरिक्त प्रकरण में श्री महेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप निदेशक (निर्माण), प्रयागराज सम्प्रति संयुक्त निदेशक (निर्माण), को भी दोषी पाया गया। तत्क्रम में परिषद पत्र दिनांक 20.03.2025 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु वित्त नियन्त्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय को एवं इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु उप निदेशक (प्रशासन / विपणन), प्रयागराज को निर्देशित किया गया। साथ ही परिषद आदेश संख्या-301 दिनांक 22.03.2025 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी संस्थित की गई।

दोषी कर्मचारी श्री मैकूलाल के श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध प्रेषित कतिपय शिकायती पत्रों को पटल सहायक श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, अधिष्ठान-क अनुभाग एवं तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, अधिष्ठान-क अनुभाग श्री विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा ससमय व्यवहरित एवं संचरित नहीं किया गया, जिसके कारण श्री वर्मा के विरूद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई। उक्त विभागीय कार्रवाई परिषद आदेश संख्या-536 दिनांक 18.04.2026 द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाय, के लिए कठोर चेतावनी देते हुए, निस्तारित की गयी। तत्कालीन अनुभाग अधिकारी अधिष्ठान-क अनुभाग श्री विनय कुमार श्रीवास्तव दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उक्त पत्रों को ससमय व्यवहरण न किये जाने हेतु श्री विनय कुमार श्रीवास्तव भी उत्तरदायी थे।

उक्त चार सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 11.03.2025 को प्रस्तुत की गयी आख्या में कुल 05 कार्मिकों श्री रवेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (सिविल) / प्रभारी उप निदेशक (निर्माण), प्रयागराज सम्प्रति पदच्युत, श्री महेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप निदेशक (निर्माण), प्रयागराज सम्प्रति संयुक्त निदेशक (निर्माण), श्री संजीव कुमार गंगवार, लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी, प्रयागराज सम्प्रति से०नि०, श्री मैकूलाल, लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी (से०नि०) एवं श्री मंजीत सिंह, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित) को दोषी पाया गया। जबकि पूर्व की त्रिसदस्यीय जाँच समिति की आख्या दिनांक 12.09.2023 में तत्कालीन उप निदेशक (निर्माण), प्रयागराज श्री महेन्द्र कुमार को दोषी / उत्तरदायी नहीं पाया गया था और न ही इनके बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की गयी थी।

पूर्व त्रिसदस्यीय जाँच समिति की उक्त चूक/जाँच में रह गयी कमी के दृष्टिगत, समिति के तीनों सदस्यों को दिनांक 17.03.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें उनके द्वारा अपना पक्ष दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत किया गया, स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण श्री कुलभूषण वर्मा, तत्कालीन उप निदेशक (प्रशासन / विपणन), मण्डी परिषद, प्रयागराज सम्प्रति मिर्जापुर, श्री विष्णु कुमार अग्रवाल, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रभारी उप निदेशक (निर्माण), अनुरक्षण खण्ड, मुख्यालय सम्प्रति कानपुर के विरूद्ध क्रमशः आदेश संख्या-469, 470 व 471 दिनांक 25.04.2025 द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की गयी है। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री पंकज कुमार गुप्ता को परिषद आदेश संख्या-02 दिनांक 01.01.2026 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया। श्री कुलभूषण वर्मा को परिषद आदेश संख्या-03 दिनांक 01.01.2026 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया। परिषद आदेश संख्या-1067 दिनांक 12.08.2025 द्वारा श्री विष्णु कुमार अग्रवाल के दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण प्रशासनिक दण्ड का अवसर न होने के कारण उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्रवाई को बिना किसी दण्ड के यथास्थिति समाप्त किया गया।

श्री इन्दल प्रसाद द्वारा उप निदेशक (निर्माण), प्रयागराज के पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए दोषी कार्मिक श्री मैकूलाल, लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी (सेवानिवृत्त) को जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 29.08.2024 को चेक संख्या-208539 धनराशि रूपये 2,00,000.00 एवं चेक संख्या-589711 धनराशि रूपये 13,79,126.00 के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की गयी है। जबकि शासन के पत्र के क्रम में श्री इन्दल प्रसाद द्वारा मण्डी परिषद मुख्यालय को प्रेषित आख्या दिनांक 19.12.2024 में, तथ्यों को छुपाकर / न्यूनीकरण कर मात्र चेक संख्या-208539 रूपये 2,00,000.00 की धनराशि के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है। इस प्रकार श्री इन्दल प्रसाद द्वारा जनसूचना के तहत दी गयी सूचना एवं मण्डी परिषद को प्रेषित आख्या दिनांक 19.12.2024 में तथ्यों को छुपाने एवं न्यूनीकरण किये जाने के कारण श्री इन्दल प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री इन्दल प्रसाद द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 03.05.2025 सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण, उक्त कृत्यों हेतु आदेश संख्या-580 दिनांक 20.05.2025 द्वारा इनके विरूद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण में वित्त नियन्त्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय को जॉच अधिकारी नामित किया गया। उक्त विभागीय कार्रवाई परिषद आदेश संख्या-321 दिनांक 06.03.2026 द्वारा परिनिन्दा दण्ड के साथ निस्तारित की गयी।

श्री महेन्द्र कुमार के संदर्भ में नवीन चार सदस्यीय समिति द्वारा यह पाया गया कि श्री महेन्द्र कुमार द्वारा अपने उप निदेशक (निर्माण), प्रयागराज के कार्यकाल दिनांक 23.01.2019 से

दिनांक 16.07.2021 तक के मध्य कुल रूपये 15,79,126.00 धनराशि का अनाधिकृत रूप से अनियमित भुगतान किया गया है, जिस पर दिनांक 31.03.2025 तक 7.30 प्रतिशत की दर से कुल 4.29,889.00 रूपये का ब्याज आगणित होता है। उक्त (15,79,126.00 रूपये मूल धनराशि + 4,29,889.00 रूपये ब्याज) के सापेक्ष विभागीय खाते में अब तक कुल रूपये 15,79,126.00 धनराशि वापस किया जा चुका है तथा 4,29,889.00 रूपये वापस किया जाना शेष है। तत्क्रम में उक्त जॉच आख्या दिनांक 11.03.2025 का परिशीलन करते हुए परिषद पत्र दिनांक 20.03.2025 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु वित्त नियन्त्रक, मण्डी परिषद, मुख्यालय को एवं इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु उप निदेशक (प्रशासन / विपणन), प्रयागराज को निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में उप निदेशक (प्रशासन / विपणन), प्रयागराज के पत्र दिनांक 28.03.2025 द्वारा कोतवाल / थानाध्यक्ष, धूमनगंज, जनपद-प्रयागराज को एवं पत्र दिनांक 02.04.2025 द्वारा पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट, प्रयागराज को थाना धूमनगंज प्रयागराज में पूर्व में दर्ज एफ०आई०आर० संख्या-0485 दिनांक 16.09.2023 में श्री महेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, प्रयागराज एवं अनियमित भुगतान प्राप्त करने वाली फर्म/प्रोपराइटर का नाम विवेचना में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट प्रयागराज के पत्र दिनांक 04.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विवेचना के दौरान श्रीमती श्रद्धा सिंह पत्नी श्री मंजीत सिंह के नाम की वृद्धि की गई है तथा धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त श्री मंजीत सिंह को दिनांक 02.03.2025 को तथा अभियुक्त श्री रवेन्द्र सिंह को दिनांक 09.08.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त श्री संजीव कुमार गंगवार द्वारा दिनांक 29.09.2025 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया है। अब तक की विवेचना के दौरान अभियुक्त मंजीत सिंह, पुत्र महादेव सिंह निवासी 650एच/बी/2 के गयासुददीनपुर महेन्द्र नगर, ट्रान्सपोर्ट नगर, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 39/2025 दिनांक 24.04.2025 को तथा 1- रवेन्द्र सिंह पुत्र नवाब सिंह (पदच्युत उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद प्रयागराज) निवासी 419 यादव कालोनी, शिकोहाबाद 2- संजीव कुमार गंगवार पुत्र आर०एस० गंगवार निवासी 2/117 विराट खण्ड, थाना गोमती नगर लखनऊ हाल पता 30/31 सरस्वतीपुरम थाना गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 39ए/2025, दिनांक 03.10.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार बलराम सिंह निवासी ग्राम सरसावा मंझनपुर जनपद कौशाम्बी बाथ भीमपुर कचियां का पुरा जनपद कौशाम्बी की मृत्यु होने के कारण तथा नामजद अभियुक्त मैकूलाल पुत्र स्व० मुन्ना लाल (सेवानिवृत लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी) निवासी 263/100/21 व हरचन्द्रपुर गढ़ी कनौरा,

लखनऊ के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण तथा पुनः विभागीय जांचानुसार विवेचना में सम्मिलित किये गये 1. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व० गनेश निवासी 12/723 इन्दिरानगर, थाना इन्दिरा नगर, लखनऊ (तत्कालीन उपनिदेशक निर्माण, मण्डी परिषद मुण्डेरा प्रयागराज) एवं ठेकेदार सुरेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री भास्कर प्रसाद मिश्र निवासी 90 के स्टेवियस रोड सम्यर थाना, जिला औरया 3. अरविन्द सिंह निवासी ग्राम सरसावा मंझनपुर जनपद कौशाम्बी 4. पवन कुमार शुक्ला पुत्र सिद्धनाथ निवासी 3/113 शान्तिपुरम, फाफामऊ, जनपद प्रयागराज की गबन में कोई संलिप्तता न पाये जाने के कारण इनका नाम विवेचना से पृथक किया गया है। विवेचना से प्रकाश में आये तथा पुनः विभागीय जांच के अनुसार विवेचना में सम्मिलित किये गये 1 श्रद्धा सिंह पत्नी मंजीत सिंह निवासी 050 एच/वी/2 के गयासुददीनपुर महेन्द्र नगर, ट्रान्सपोर्ट नगर, थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज, 2-कामधेनू कन्स्ट्रक्शन प्रो० सदानन्द मिश्रा 152/ए साकेत नगर, हरवारा, धूमनगंज, प्रयागराज 3-लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन प्रो० मान सिंह पुत्र सियानन्द सिंह निवासी ग्राम पंढरी मजरे, डेन्डासही, जनपद फतेहपुर, 4-लवलेश कुमार पाण्डेय, 289 आई0/1 तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद के विरुद्ध धारा 420/120बी भादवि के अन्तर्गत आंशिक रूप से विवेचना प्रचलित है।

अवगत कराना है कि परिषद आदेश संख्या-301 दिनांक 22.03.2025 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई भी संस्थित की गयी तथा विभागीय कार्रवाई पूर्ण होने तक श्री महेन्द्र कुमार को मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2, मण्डी परिषद से सम्बद्ध किया गया। उक्त विभागीय कार्रवाई परिषद आदेश संख्या-01 दिनांक 01.01.2026 द्वारा परिनिन्दा दण्ड के साथ समाप्त की गयी। वस्तुतः विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रयागराज की रिपोर्ट में रूपये 2,00,000 धनराशि के अधिक भुगतान सम्बन्धी चेक संख्या-208539 दिनांक 05.08.2020 पर श्री महेन्द्र कुमार का हस्ताक्षर पाया गया तथा रूपये 13,79,126.00 के अनियमित भुगतान सम्बन्धी चेक संख्या-589711 दिनांक 16.07.2021 पर श्री महेन्द्र कुमार का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। अतिरिक्त भुगतान सम्बन्धी धनराशि रूपये 2,00,000.00 एवं उस पर देय ब्याज रूपये 65,800.00 तथा रूपये 13,79,126.00 धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्माण खण्ड, प्रयागराज के खाते में जमा कर दी गयी है।

(2) **<u>श्री महेन्द्र कुमार के उप निदेशक (निर्माण) पद से संयुक्त निदेशक (निर्माण) के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में-</u>**

श्री महेन्द्र कुमार के उप निदेशक (निर्माण) पद से संयुक्त निदेशक (निर्माण) के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 28.05.1997 में व्यवस्था है कि यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, कार्मिक

के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है, आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, केवल उन्हीं के सम्बन्ध में विभागीय समिति द्वारा लिफाफा बन्द किया जायेगा। विभागीय प्रोन्नत समिति की कार्यवृत्त/संस्तुति दिनांक 17.01.2025 के आधार पर दिनांक 31.01.2025 को श्री महेन्द्र कुमार को संयुक्त निदेशक (निर्माण) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। तत्समय इनके विभागीय कार्रवाई विचाराधीन नहीं थी और न ही कोई लघु एवं दीर्घ दण्ड विद्यमान था। अतः उन्हें पदोन्नति प्रदान की गयी, जो नियमानुकूल है।

(3) **<u>श्री महेन्द्र कुमार के विरुद्ध निर्माण खण्ड, वाराणसी, जौनपुर एवं आजमगढ़ में की गई अनियमितता संबंधी शिकायतों के संबंध में-</u>**

<u>(क) वाराणसी/जौनपुर-</u> श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध निर्माण खण्ड, वाराणसी में बिना फण्ड आये, बिना मैक्सफॉल्ट आये भुगतान किये जाने सम्बन्धी शिकायती बिन्दु के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2, मण्डी परिषद मुख्यालय के पत्र संख्या-615 दिनांक 06.07.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 1519720034956 दिनांक 07.07.2020 के माध्यम से श्री किस्मती देवी, पार्षद वार्ड नं0-3 लहरतारा, वाराणसी का शिकायती पत्र दिनांक 24.06.2020 प्राप्त हुआ था। शिकायती पत्र में मुख्य रूप से कोविड-19 के समय छिडकाव न होने, जनेश्वर मिश्र एवं रोड में नकली सी०आर०सी० लेकर भुगतान किए जाने का उल्लेख करते हुए जांच कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। तत्क्रम में परिषद पत्रांक 723 दिनांक 15.09.2020 द्वारा उप निदेशक (प्रशा०/विप०) मण्डी परिषद, वाराणसी, उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, कानपुर एवं सम्भागीय लेखाधिकारी मण्डी परिषद, इलाहाबाद की तीन सदस्यीय समिति गठित करते हुए प्रकरण की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। गठित समिति द्वारा प्रकरण की जांच कर उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, कानपुर के पत्र संख्या-2832 दिनांक 18.12.2020 द्वारा संयुक्त हस्ताक्षारित जांच आख्या प्रस्तुत की गई। जांच आख्या प्रस्तुत किए जाने पर तत्कालीन निदेशक महोदय द्वारा प्राप्त जांच आख्या की प्रति संलग्नकों सहित श्री महेन्द्र कुमार को प्रेषित कर उनका पक्ष प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये। श्री महेन्द्र कुमार का पक्ष प्राप्त होने पर निर्देश क्रम में उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, वाराणसी से आख्या प्राप्त की गई। श्री महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत पक्ष एवं निर्माण खण्ड, वाराणसी से प्राप्त के आख्या के परिशीलन एवं परीक्षण उपरान्त मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2, मण्डी परिषद मुख्यालय के पत्रांक 208 दिनांक 11.05.2026 द्वारा निम्नवत् अभिमत / आख्या प्रेषित की गई:-

श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध सैनीटाइजेशन का छिड़काव न कराये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट में कम छिड़काव कराये जाने अथवा न कराये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि जांच रिपोर्ट के क्रम में श्री महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ सैनीटाइजेशन कराये जाने के साक्ष्य हेतु छिड़काव के समय के स्थलीय फोटोग्राफ, छिड़काव हेतु लेबर को किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा अस्थायी अग्रिम के समायोजन सम्बन्धी पत्र की छायाप्रतियां संलग्न की गई है। करोना महामारी के काल में समय-समय पर सरकार / शासन द्वारा जारी गाइड लाइन/निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही की जाती थी। इसी क्रम में आवश्यकतानुसार सैनीटाइजेशन का छिड़काव भी कराया जाता था। अतः श्री महेन्द्र कुमार के उत्तर के साथ प्रस्तुत किए गये साक्ष्यों के दृष्टिगत यह शिकायत कि छिड़काव नहीं कराया गया, निराधार है।

जांच आख्या के अनुसार सम्पर्क मार्गों का ठेकेदारों से बिना सी०आर०सी० लिए भुगतान किया गया है जबकि श्री महेन्द्र कुमार द्वारा अपने उत्तर में रनिंग भुगतान किए जाने तथा सी०आर०सी० की छायाप्रतियां संलग्न की गई है। उप निदेशक (निर्माण) वाराणासी द्वारा भी अपने पत्र संख्या 106 दिनांक 27.04.2026 द्वारा ठेकेदार से सी०आर०सी० लिए जाने के उपरान्त ही अन्तिम निस्तारण किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार जांच आख्या में 07 नग जनेश्वर मिश्र ग्रामों के निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान बिना एम०ए०एस० के किए जाने की पुष्टि होने का उल्लेख किया गया है जबकि श्री महेन्द्र कुमार द्वारा अपने उत्तर में जनेश्वर मिश्र ग्रामों में 726 बोरी सीमेन्ट की कटौती करते हुए अन्तिम भुगतान किए जाने का उल्लेख किया गया है।

उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, वाराणसी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 27.04.26 में निर्गत सीमेन्ट के सापेक्ष रिकवरी किए जाने का उल्लेख किया गया है। निर्माण कार्यों में व्यवहारिक तौर पर अनुबन्ध के अन्तिम भुगतान निस्तारण के समय ठेकेदार से अपेक्षित समस्त प्रपत्र प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही अन्तिम भुगतान / निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। उप निदेशक (निर्माण) वाराणसी के पत्र संख्या-106 दिनांक 27.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या में स्पष्ट उल्लेख है कि मार्गों में सी०आर०सी० ली गई है तथा सीमेन्ट की कटौती भी की गई है तथा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि बिना सी०आर०सी० के एवं बिना सीमेन्ट की वसूली किए हुए कोई भी भुगतान किया गया हो। उपर्युक्तानुसार उप निदेशक (निर्माण) वाराणसी की आख्यानुसार शिकायतकर्ता का कथन बिना सी०आर०सी० तथा एम०ए०एस० रजिस्टर के भुगतान किया गया है, निराधार है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, वाराणसी की आख्या दिनांक 27.04.2026 के अनुसार अनुबन्ध संख्या-182 के अन्तर्गत तीन बोरी सीमेन्ट की कटौती रू0 900.00 (रू० नौ सौ मात्र) किया जाना शेष है। तत्क्रम में उक्त धनराशि की

नियमानुसार सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली करते हुए अवगत कराये जाने हेतु परिषद पत्रांक मु०अभि० (8690)/2026-207 दिनांक 11.05.2026 द्वारा उप निदेशक (नि०) वाराणसी को निर्देशित कर दिया गया है।

(ख) आजमगढ़- तत्कालीन निदेशक, श्री जे०पी० सिंह द्वारा 34 नग एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के निर्माण में कराए गए मानक विहीन कार्यों की जॉच हेतु संयुक्त निदेशक (निर्माण), जोन-4 गोरखपुर की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी, किन्तु वर्तमान तक जॉच नहीं की गयी, सम्बन्धी शिकायती बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2, मण्डी परिषद, मुख्यालय के पत्र संख्या-208 दिनांक 11.05.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री महेन्द्र मौर्य (किसान नेता) के शिकायती पत्र दिनांक 11.01.2020 द्वारा निर्माण खण्ड मण्डी परिषद आजमगढ़ के अन्तर्गत जनवरी, 2012 से लेकर मार्च, 2016 तक निर्मित कराए गये 22 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की क्वालिटी बहुत खराब होने, विशेष तौर से फर्श की मोटाई 01 इंच से भी कम होने का उल्लेख करते हुए क्वालिटी की जांच कराकर दोषी ठेकेदार, जे०ई० व तत्कालीन डी०डी०सी० श्री महेन्द्र कुमार के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा के क्रम में तत्कालीन निदेशक महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन क्रम में परिषद पत्रांक 252 दिनांक 27.06.2020 द्वारा श्री पी०सी० जैन तत्कालीन संयुक्त निदेशक (निर्माण) जोन-4 मण्डी परिषद, गोरखपुर एवं श्री अभय कुमार जैन, उप निदेशक (निर्माण) मुख्यालय मण्डी परिषद लखनऊ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु जांच समिति द्वारा जांच आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।

श्री महेन्द्र मौर्य (किसान नेता) जिला मंत्री भा०ज०पा० के पत्र दिनांक 11.07.2022 द्वारा पूर्व में की गई शिकायत में अंकित ग्राम बेलघाट का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित होने का उल्लेख करते हुए बेलघाट की शिकायत वापस लिए जाने से अवगत कराया गया। परिषद पत्रांक 1485 दिनांक 06.01.2023 द्वारा श्री इन्दल प्रसाद, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (निर्माण) जोन-4 मण्डी परिषद गोरखपुर को अपेक्षित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। श्री इन्दल प्रसाद तत्कालीन संयुक्त निदेशक (निर्माण) जोन-4 के पत्र संख्या 54 दिनांक 09.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त गठित जांच समिति के निर्देश क्रम में उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, आजमगढ़ के पत्र संख्या 1485 दिनांक 25.03.2021 द्वारा 17 नग ए०एम०एच० के फर्श निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के नमूने लेकर जांच अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग लखनऊ से कराई गई थी जिसकी रिपोर्ट इस कार्यालय को तत्समय प्राप्त हो चुकी थी परन्तु गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सम्भवतः परिषद मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है, का उल्लेख करते हुए पुनः जांच समिति गठित किए जाने की अपेक्षा की गई। तत्क्रम में परिषद पत्रांक 580 दिनांक 20.07.2023 द्वारा प्राप्त परीक्षण के परिणाम के आधार पर आख्या उपलब्ध

कराने हेतु निर्देशित किया गया। श्री इन्दल प्रसाद तत्कालीन संयुक्त निदेशक (निर्माण) जोन-4 मण्डी परिषद, गोरखपुर के पत्र संख्या कै०आ०-05 दिनांक 20.04.2024 द्वारा शिकायती पत्र में उल्लिखित ए०एम०एच० के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया कि-

1- प्रश्नगत ए०एम०एच० वर्ष 2011 से 2014 के मध्य निर्मित कराये गये थे, जिनका आंवटन 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। अधिकांश ए०एम०एच० सहकारिता की भूमि पर निर्मित हैं, जिनका उपयोग उनके द्वारा क्रय केन्द्र अथवा भण्डारण के रूप में किया जा रहा है, किराये आदि का लाभांश उनके द्वारा ही लिया जा रहा है।

2- लोक निर्माण विभाग में परीक्षण में फर्श के ऊपरी सतह सीमेन्ट कंक्रीट (1:2:4) के सैम्पल भेजे गये थे, जो अधोमानक पाये गये हैं। अधिकांश ए०एम०एच० सहकारिता विभाग के अधीन है और उनके द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं। अतः अनुरक्षण का दायित्व भी सहकारिता विभाग का है, मण्डी परिषद द्वारा फर्शों की मरम्मत कराया जाना समीचीन नहीं है। प्रश्नगत ए०एम०एच० के अनुबन्धों का अन्तिम निस्तारण वर्तमान तक नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में दुकानों के फर्श सीमेन्ट, कंक्रीट (1:2:4) की शत-प्रतिशत एवं नीलामी चबूतरों में क्षतिग्रस्त भाग के अनुसार कटौती करते हुए अनुबंधों का अंतिम निस्तारण किया जाना उचित होगा। उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गई।

उपर्युक्तानुसार शिकायत से सम्बन्धित 21 में से 17 ए०एम०एच० के फर्श कंक्रीट में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पिल की जांच अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग लखनऊ की प्रयोगशाला से कराई गई। प्राप्त सैम्पिल रिपोर्ट के अनुसार फर्श कंक्रीट में प्रयुक्त निर्माण सामग्री अधोमानक पाई गई। अनुबन्ध के क्लाज संख्या-08 के अनुसार अन्तिम भुगतान से पूर्व कार्य के दौरान समय-समय पर किए गये अन्तरिम भुगतान को अन्तिम भुगतान के सापेक्ष अग्रिम भुगतान माना गया है। अनुबन्ध के क्लाज संख्या-15 में दी गई व्यवस्थानुसार अनुबन्धित ठेकेदार, अनुबन्धित गुणवत्ता से कम गुणवत्ता पाये जाने पर शिकायत की गई सामग्री को ठीक करेगा या आवश्यकतानुसार पूरे या आंशिक रूप से निर्दिष्ट कार्य को हटायेगा, ध्वस्त करेगा और पुनर्निर्माण करायेगा।

परिषद पत्रांक-142 दिनांक 30.05.2024 के क्रम में 03 ए०एम०एच० क्रमशः उटवापार बांसगाव, बहोरिकपुर एवं कमलापुर के फर्श में प्रयुक्त सीमेन्ट कंक्रीट मद की सम्पूर्ण धनराशि कटौती करके अनुबन्धों का अन्तिम निस्तारण किया जा चुका है।

अवशेष 14 ए०एम०एच० जिनके सैम्पिल मानक के अनुरूप नहीं पाये गये हैं, का अन्तिम भुगतान नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार से फर्श का पुनर्निर्माण कराने अथवा पुनर्निर्माण न कराने पर अन्तिम देयक से उक्त मद की शत प्रतिशत कटौती किया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित अवशेष 04 नग ए०एम०एच० के निर्माण

कार्यों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार सैम्पिलिंग कराते हुए अधोमानक निर्माण कार्य पाये जाने की स्थिति में उसकी कटौती ठेकेदार के अन्तिम देयक से करते हुए अनुबन्ध का निस्तारण करने हेतु उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में परिषद पत्रांक मु०अभि० (8690)/2026-206 दिनांक 11.05.2026 द्वारा प्रश्नगत ए०एम०एच० का उपर्युक्तानुसार अन्तिम निस्तारण करने हेतु उप निदेशक (निर्माण) आजमगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रमुख अभियन्ता उ०प्र० लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-1857 एम०टी०/61 एम०टी०/99 दिनांक 26.06.99 द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार कार्यो के निष्पादन अवधि में उचित देख-रेख हेतु फर्श की कंक्रीट एवं फर्श कार्य हेतु भौतिक उपस्थिति हेतु अवर अभियन्ता एवं भौतिक चेकिंग हेतु सहायक अभियन्ता को उत्तरदायी माना गया है। इस प्रकार फर्श की सीमेन्ट कंक्रीट मद का कार्य कराने में शिथिल पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता उत्तरदायी हैं। उक्त परिपत्र दिनांक 26.06.1999 में प्रश्नगत मद हेतु अधिशासी अभियन्ता (मण्डी परिषद में पदनाम उप निदेशक निर्माण) के उत्तरदायी होने का कोई उल्लेख नहीं है।

मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2, मण्डी परिषद, मुख्यालय के उक्त जॉच आख्या के क्रम में फर्श की सीमेन्ट कंक्रीट मद का कार्य कराने में शिथिल पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी अभियन्ताओं का नाम/पदनाम एवं कार्य सहित विवरण उपलब्ध कराने हेतु परिषद पत्र संख्या-878 दिनांक 19.05.2026 एवं अनुस्मरण पत्र संख्या-1458 दिनांक 27.07.2026 द्वारा मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2, मण्डी परिषद मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया।

अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2, मण्डी परिषद, मुख्यालय के पत्र संख्या-786 दिनांक 04.08.2026 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार निर्माण खण्ड, आजमगढ क्षेत्रान्तर्गत निर्मित ए०एम०एच० के निर्माण कार्य में अधोमानक कार्य कराये जाने हेतु अन्य अभियन्ताओं के साथ-साथ श्री महेन्द्र कुमार भी उत्तरदायी है।

(4) **श्री महेन्द्र कुमार द्वारा अनियमित भुगतान किये जाने की शिकायत के संबंध में-**

(क) निर्माण खण्ड, प्रयागराज के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या-2625 दिनांक 06.08.2025 के कार्यों हेतु एक ही अनुबन्ध में एक ही धनराशि रूपये 8,70,936.00 के दो बार अलग-अलग नाम से भुगतान कर लोकधन का दुरूपयोग किये जाने संबंधी शिकायती बिन्दु के संबंध में वित्त नियन्त्रक, मण्डी परिषद के पत्र संख्या-57 दिनांक 10.04.2026 द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें अवगत कराया गया है कि अनुबन्ध संख्या-2625 में दिनांक 06.08.2025 की तिथि अंकित की गयी है जबकि अनुबन्ध संख्या-2625 की वास्तविक तिथि 06.08.2019 है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार चेक संख्या-982185 दिनांक 11.05.2020 द्वारा रूपये

8,70,936.00 का भुगतान मै० जय प्रकाश यादव के पक्ष में निर्माण खण्ड, प्रयागराज के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा किया गया था किन्तु दिनांक 11.05.2020 को ही धनराशि रूपये 8,70,936.00 आर०टी०जी०एस० के माध्यम से विभागीय खाता संख्या-30386356590 में जमा हुई है। इसमें कोई वित्तीय क्षति विभाग को नहीं है।

(ख) रूपये 63.47 लाख (43.88+19.59) की धनराशि का भुगतान बिना चेक जारी किये सीधे आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किये जाने सम्बन्धी शिकायती बिन्दु के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक, मण्डी परिषद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 10.04.2026 में अवगत कराया गया है कि रूपये 63.47 लाख (43.88+19.59) की धनराशि का भुगतान आयुक्त एवं निदेशक महोदय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-3373 दिनांक 25.03.2013 के बिन्दु संख्या-01 के अनुसार आर०टी०जी०एस० प्रपत्र के माध्यम से है, जिसके द्वारा रूपये 1.00 लाख से अधिक के भुगतान अनिवार्य रूप से ई पेमेन्ट नेफट / आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ही किये जाने के निर्देश दिए गये। उक्त से स्पष्ट है कि भुगतान चेकों के माध्यम से एवं ई पेमेण्ट नेफट / आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया जा सकता है।

(ग) श्री महेन्द्र कुमार द्वारा 45 चेकों के माध्यम से अनाधिकार भुगतान किये जाने सम्बन्धी शिकायती बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्माण खण्ड, प्रयागराज में योगदान कर लेने के उपरान्त भी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा निर्माण खण्ड, जौनपुर में दिनांक 25.01.2019 को 20 चेकों, दिनांक 01.02.2019 को 19 चेकों एवं दिनांक 05.02.2019 को 06 चेकों कुल 45 चेकों के माध्यम से ठेकेदारों को निजीहित लाभ में अनाधिकार भुगतान किये जाने सम्बन्धी शिकायती बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषद पत्रांकः अधि० "क" /(स्था०)/2019-94 दिनांक 21.01.2019 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार, उप निदेशक (निर्माण), जौनपुर को समान पद पर निर्माण खण्ड, इलाहाबाद में स्थानान्तरित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बगैर नवतैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त आदेश के द्वारा इनको आगामी व्यवस्था होने तक अपने कार्यों के साथ-साथ उप निदेशक (निर्माण), निर्माण खण्ड, मिर्जापुर के पदीय दायित्वों के निवर्हन हेतु भी अधिकृत किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में श्री महेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 23.01.2019 को उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, प्रयागराज के पद पर योगदान किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री महेन्द्र कुमार, उप निदेशक (निर्माण), प्रयागराज द्वारा निर्माण खण्ड, जौनपुर में दिनांकः 25.012019 को 20 चेक, दिनांक 01.02.2019 को 19 चेक, दिनांक 05.02.2019 को 06 चेक, कुल 45 चेकों का भुगतान किया गया, परन्तु इनको निर्माण खण्ड, जौनपुर के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। इनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने पदीय दायित्त्वों के विरूद्ध कार्य किया गया है।

3- अवगत कराना है कि निर्माण खण्ड, आजमगढ क्षेत्रान्तर्गत निर्मित ए०एम०एच० के निर्माण कार्य में अधोमानक कार्य कराये जाने हेतु अन्य अभियन्ताओं के साथ-साथ श्री महेन्द्र कुमार को भी उत्तरदायी पाया गया है। इसी प्रकार निर्माण खण्ड, प्रयागराज में योगदान कर लेने के उपरान्त भी निर्माण खण्ड, जौनपुर में दिनांक 25.01.2019 को 20 चेकों, दिनांक 01.02.2019 को 19 चेकों एवं दिनांक 05.02.2019 को 06 चेकों कुल 45 चेकों के माध्यम से किया गया भुगतान श्री महेन्द्र कुमार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने पदीय दायित्वों के विरूद्ध कार्य किया गया है। अतः उपर्युक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में आयुक्त एवं निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध पृथक से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही पृथक से संस्थित की जा रही है।

कृपया उपरोक्त वर्णित स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

04.08.20

(टी० के० शिबु)

श्री रविदास मेहरोत्रा,
मा० सदस्य, विधान सभा, उ०प्र०,
लखनऊ मध्य-174, लखनऊ।